[2022] 7 एस. सी. आर. 367

ए.

विजया

वी.

पुलिस निरीक्षक द्वारा राज्य का जवाब (2022 की आपराधिक अपील संख्या 1573)

बी.

15 सितंबर, 2022

[सूर्या कान्ट और हृषिकेश रॉय**,** जे**.** जे।**]**

साक्ष्य अधिनियम, 1872-ss.32, 157 – दंड प्रक्रिया संहिता -धारा. 164-मृत्यु घोषणा-पीड़ित बच गया-कथन यू/एस।164 Cr.P.C-अभियोजन का मामला कि अपीलार्थी ने एक जहरीले पदार्थ का सेवन किया, जिसे उसने अपनी 10 महीने की बेटी को भी दिया-उन्हें अस्पताल ले जाया गया-अपीलार्थी की मृत्यु की घोषणा दर्ज की गई-अपीलार्थी बच गया लेकिन उसके बच्चे की मृत्यु हो गई-अपीलार्थी के पति ने पुलिस को मामले की सूचना दी, जिसके कारण यू/एस।302 और 309 भारतीय दण्ड संहिता सी.-अपीलार्थी के पति (पी. डब्ल्यू. 1) और उसके ससुर (पी. डब्ल्यू. 5), दोनों मुकदमे के दौरान मुकर गए-ट्रायल कोर्ट ने अपीलार्थी को यू/एस. एस. के तहत अपराधों का दोषी पाया।304(1) और भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 309-दोषसिद्धि के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा दायर अपील को उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था-यह प्रश्न उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचार के लिए उठता है कि क्या अपीलार्थी की दोषसिद्धि को केवल उसकी कथित मृत्यु घोषणा के आधार पर बनाए रखना मान्य है, जिसे यू/एस के बयान के रूप में वर्गीकृत किया गया प्रतीत होता है।164 इस बात पर विचार करते हुए कि अपीलार्थी ने कोई बयान देने से इनकार किया है?– आयोजित किया गयाःअपीलार्थी द्वारा उसके लिए दिए गए बयान के बाद के इनकार की प्रासंगिकता है-अपीलार्थी ने अपने प्रारंभिक बयान को, जब वह होश में आ गई थी, पुलिस से प्रभावित होने के लिए जिम्मेदार ठहराया है, जिसने कथित रूप से उसे आश्वस्त किया कि वे उन व्यक्तियों को पकड़ लेंगे जिन्होंने उसकी बेटी और उसे दूषित शहद की पेशकश की थी, और उन गहने को भी बरामद कर लेंगे जो इन अज्ञात व्यक्तियों ने चोरी कर लिए थे-हालाँकि, उसने दावा किया कि उन्होंने उसे इन विवरणों के बारे में चुप रहने के लिए कहा और केवल यह बताया कि उन दोनों ने जहरीले पदार्थ का सेवन किया था-इसका प्रभाव अपीलार्थी द्वारा दिए गए प्रारंभिक बयान की वास्तविकता पर पड़ता है जो कुछ गवाहों (पीडब्लू1 और पीडब्लू5) द्वारा लिए गए बाद के शत्रुतापूर्ण मोड़ के साथ संयुक्त होता है-इसके अलावा, अपीलार्थी का अपराध उसके साथ आसानी से मिलान नहीं करता है।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

367 ए.

368 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 7 एस. सी. आर.

अपीलार्थी की दोषसिद्धि के बारे में संदेह-इसके अलावा, विवाद के ऐसे मुद्दे थे जिन्हें पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं किया गया था-वही लाभ अपीलार्थी को-इसलिए, निचली अदालत और उच्च न्यायालय के निर्णयों को दरकिनार कर दिया गया।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

बी.

पकड़ना:**1.** शुरुआत में, अपीलार्थी द्वारा उसके लिए जिम्मेदार बयान का बाद में खंडन प्रासंगिक है।यह आगे प्रतीत होता है कि पीडब्लू **1** और **5,** अपीलार्थी का पति जो वादी भी है, और उसके ससुर दोनों ही मुकर गए हैं।हालांकि, सत्र न्यायाधीश ने इस तर्क के आधार पर इस कारक को खारिज कर दिया कि ये व्यक्ति अंततः यह सुनिश्चित करने में रुचि रखते थे कि अपीलार्थी को बरी कर दिया गया था और इसलिए उनके पहले के बयानों से पीछे हट गए जो उनके अपराध का समर्थन करते थे।ट्रायल कोर्ट ने राय दी कि घटनाओं का अभियोजन संस्करण, अब तक, अधिक प्रशंसनीय और तार्किक रूप से अपीलार्थी की बेटी की मृत्यु का कारण बना।**[**पैरा **12] [373-**एच**; 374-**ए**-**बी**]**

सी.

डी.

2. निस्संदेह उन सटीक परिस्थितियों के बारे में कुछ अस्पष्टता है जिसमें अपीलार्थी और उसकी बेटी ने एक जहरीले पदार्थ, ओडुवंथलाई का सेवन किया था।अपीलार्थी ने **11.10.2012** पर अपने प्रारंभिक बयान के लिए, जब वह अस्पताल में होश में आई थी, पुलिस से प्रभावित होने के लिए जिम्मेदार ठहराया है, जिसने कथित तौर पर उसे आश्वस्त किया कि वे उन व्यक्तियों को पकड़ लेंगे जिन्होंने उसकी बेटी और उसे दूषित शहद की पेशकश की थी, और उन गहने को भी बरामद करेंगे जो इन अज्ञात व्यक्तियों ने चोरी किए

थे।हालाँकि, उसने दावा किया कि उन्होंने उसे इन विवरणों के बारे में चुप रहने के लिए कहा और बस यह बताया कि उन दोनों ने जहरीले पदार्थ का सेवन किया था।घटनाओं के इस क्रम पर सत्र न्यायाधीश और उच्च न्यायालय द्वारा अविश्वास किया गया है।चाहे जो भी हो, इसका अनिवार्य रूप से अपीलार्थी द्वारा दिए गए प्रारंभिक कथन की वास्तविकता पर प्रभाव पड़ता है।मुकदमे में कुछ महत्वपूर्ण गवाहों द्वारा लिए गए बाद के शत्रुतापूर्ण मोड़ के साथ, अपीलार्थी की दोषसिद्धि के संदर्भ में संदेह का एक बीज रखा जाता है।**[**पारस **14** और **15] [374-**डी**-**जी**]3.** इस प्रकार, इस न्यायालय के लिए उचित संदेह का पता लगाने का कारण केवल संदेह या ए की संभावना नहीं है।

ई.

एफ.

जी.

एच.

369

विजय बनाम पुलिस निरीक्षक द्वारा राज्य प्रतिनिधि ए

घटनाओं का एक और संस्करण, बल्कि एक ऐसा संस्करण जो एक ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ न्यायिक दिमाग की जांच से बच जाता है।वर्तमान मामले में, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि घटना के बाद, अपीलार्थी और पीडब्लू**1**, वादी के बीच विवाह जारी है और उसने दो नाबालिग बच्चों को जन्म दिया है।अपीलार्थी के अपराध पर विचार करते समय, सत्र न्यायाधीश और उच्च न्यायालय ने अभियोजन का समर्थन करने में पीडब्लू**1** और पीडब्लू**5** की विफलता के प्रभाव और प्रभाव पर संतोषजनक रूप से विचार नहीं किया है।अपीलार्थी द्वारा विवादित स्वीकारोक्ति पर विचार करते समय, अभियोजन पक्ष का मामला जिस आधार पर खड़ा था, उसे पूर्ववत कर दिया गया था, लेकिन सत्र न्यायाधीश और उच्च न्यायालय ने उस आधार पर आगे बढ़े जो प्रथम दृष्टया लगभग अयोग्य स्वीकृति प्रतीत होती है कि स्वीकारोक्ति अनुपलब्ध रही।यह इस तथ्य के बावजूद था कि अभियोजन पक्ष की कहानी के संबंध में कुछ हद तक पुष्टि प्रदान करने के लिए केवल पीडब्लू**8** ही बचा था।पी**.** डब्ल्यू**. 1** और पी**.** डब्ल्यू**. 5** के शत्रुतापूर्ण होने के कई कारण हो सकते हैं और एक दूसरे के समान ही सम्मोहक भी।जबकि निचली अदालतों ने उन्हें अपीलार्थी के बरी होने से संबंधित इच्छुक गवाह माना है, यह अदालत यह पता लगाने में असमर्थ है कि यह उनके असहयोग का एक अधिक संभावित कारण क्यों है, इस तथ्य की तुलना में कि उनका मानना था कि अपीलार्थी को गलत तरीके से आरोपित किया जा रहा था और उनके प्रारंभिक बयान दबाव में लिए गए थे।निस्संदेह, इस स्तर पर इस तरह का तथ्यात्मक विश्लेषण करना इस न्यायालय का दायित्व नहीं है और न ही संभव है।यह न्यायालय केवल यह देख सकता है कि इस बिंदु

पर आगे विचार करना आवश्यक था, विशेष रूप से अपीलार्थी के अपराध के प्रकाश में जो पीडब्लू**1** के साथ उसकी निरंतर शादी और उसके पहले जन्म के दुखद नुकसान के बाद दो बच्चों के पालन-पोषण के साथ आसानी से मेल नहीं खाता था।अभिलेख पर इस बारीकियों के मूल्यांकन की अनुपस्थिति ही अपीलार्थी के दोषसिद्धि के संबंध में हमारे मन में एक उचित संदेह पैदा करती है।जब किसी मामले के तथ्य और परिस्थितियाँ उतनी ही विचित्र होती हैं जितनी हमारे सामने होती हैं, तो न्यायिक जिम्मेदारी और भी अधिक होती है कि वे विशिष्टताओं को संबोधित करें।इसी प्रकार, यह न्यायालय यह अवलोकन करने के लिए मजबूर है कि ऐसे विवाद के मुद्दे हैं जिन पर पर्याप्त रूप से ध्यान नहीं दिया गया है, जिससे अपीलार्थी को लाभ होता है।**[**पारस **17-21] [375-H; 376-A-G]**

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

रामप्रसाद बनाम महाराष्ट्र राज्य, **(1999) 5** एससीसी **30:[1999] 3** एस. सी. आर. **519;** एस. अरुल राजा बनाम तमिलनाडु राज्य,

एच.

370 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 7 एस. सी. आर.

(2010) 8 एससीसी 233:[2010] 9 एस. सी. आर. 356; राज्य

हरियाणा बनाम भागीरथ और अन्य। **(1999) 5** एससीसी **96:[1999] 3** एससीआर **529;** यू. पी. राज्य बनामवीर सिंह **(2004) 10** एससीसी

117 :[2004] 1 पूरक।एस. सी. आर. **790-**पर निर्भर।मामला कानून संदर्भ

बी.

[2004] 1 पूरक।एससीआर **790**

उस पर भरोसा करें

पैरा **7**

[1999] 3 एससीआर **519**

उस पर भरोसा करें

पैरा **8**

[2010] 9 एससीआर **356**

उस पर भरोसा करें

पैरा **8**

[1999] 3 एससीआर **529**

उस पर भरोसा करें

पैरा **16**

सी.

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय:2022 की आपराधिक अपील संख्या 1573।

2017 की आपराधिक अपील No.257 में मद्रास में उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 19.03.2019 से।

एस. नागमुथु, वरिष्ठ अधिवक्ता, वाई. अरुणगिरी, एम. पी. पार्थिबन, हार्दिक गौतम, रघुनाथ सेतुपति, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

डी.

डॉ. जोसेफ अरस्तू एस., सुश्री नूपुर शर्मा, शोभित द्विवेदी, संजीव कुमार महारा, अधिवक्ता। प्रत्यर्थी के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

ई.

सूर्या कान्ट**,** जे।

1.अनुमति प्रदान की गई।

2. अपीलार्थी वास्तविक वादी मणि @अल्लिमुथु की पत्नी है।शादी के लगभग 2 साल बाद दंपति को एक बेटी का आशीर्वाद मिला।ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलार्थी द्वारा अपने ससुराल आने वाले ससुराल वालों के लिए पर्याप्त भोजन नहीं पकाने के कारण पति और पत्नी के बीच झगड़ा हो गया था।दुर्भाग्य से, अपीलार्थी ने आत्महत्या करने का फैसला किया और एक जहरीले पदार्थ, ओड्यूवनथलाई का सेवन किया, जिसे उसने उनकी 10 महीने की बेटी को भी दिया।अपीलार्थी का पति, अर्थात् वास्तविक वादी , उस समय काम पर गया था और जब वह 10-10-2012 पर काम करने के बाद अपने घर वापस आया, तो उसने अपीलार्थी

और उनकी बेटी दोनों को बेहोश पाया।उन्हें विनयगा मिशन अस्पताल, सलेम ले जाया गया जहाँ 13-10-2012 पर बच्ची की मृत्यु हो गई। जब अपीलार्थी को होश आया, तो उसकी कथित मृत्यु घोषणा ('पी-20' प्रदर्शित करें) को विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट (पीडब्लू 13) द्वारा 11-10-2012 पर दर्ज किया गया था।द ए.

एफ.

जी.

एच.

371

विजय बनाम पुलिस निरीक्षक द्वारा राज्य प्रतिनिधि [सूर्या कान्ट, जे.] ए.

अंततः अपीलार्थी बच गया।इस बीच अपीलार्थी के पति ने पुलिस को मामले की सूचना दी थी, जिसके कारण अपीलार्थी के खिलाफ उनकी बेटी की मौत का कारण बनने के लिए भारतीय दंड संहिता (संक्षेप में 'संहिता') की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।3. अपीलार्थी पर मुकदमा चलाया गया, जिसमें 23 दस्तावेजों पर भरोसा करने के अलावा अभियोजन पक्ष की ओर से 14 गवाहों से पूछताछ की गई।4. प्रधान सत्र न्यायाधीश, नामक्कल ने अपीलार्थी को संहिता की धारा 304 (1) और 309 के तहत अपराधों का दोषी पाया और उसे धारा 304 (1) के तहत 5,000 रुपये के जुर्माने के साथ एक साल के लिए कारावास की सजा सुनाई, जिसकी चूक में उसे तीन महीने के लिए और कारावास से गुजरना पड़ा।अपीलार्थी को संहिता की धारा 309 के तहत छह महीने के कारावास के साथ-साथ 1,000/- रुपये के जुर्माने की भी सजा सुनाई गई थी।

बी.

सी.

5. अपीलार्थी ने मद्रास में उच्च न्यायालय के समक्ष अपील को प्राथमिकता दी, लेकिन उसकी अपील को उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित आधार पर खारिज कर दिया:-

डी.

“10. पीडब्लू 2 द्वारा दर्ज की गई पूरी सामग्री EX.P20 को पढ़ने पर कहा गया कि जब वह अस्पताल में भर्ती थी, उस समय मृत्यु घोषणा होने के कारण, विद्वान मजिस्ट्रेट ने अपीलार्थी का बयान दर्ज किया।अपीलार्थी ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि उसने पेट दर्द के कारण जहर खाया था और उसने बच्चे को जहर भी दिया था।आई. डी. 1 की धारा 164 के तहत विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष दिया गया बयान और डॉक्टर के साक्ष्य कि उसने जहर खा लिया है और पी. डब्ल्यू. 8 के साक्ष्य से इसकी पुष्टि हुई।इसलिए यह पता लगाने के लिए

किसी अन्य सबूत की आवश्यकता नहीं है कि आरोपी ने अपराध किया है।चिकित्सीय साक्ष्य भी इसकी पुष्टि करते हैं।अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करेंगे कि अभियुक्त को सरकारी अस्पताल, सलेम में भर्ती कराया गया था, लेकिन चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था।घटना की तारीख से तीन दिन बाद प्राथमिकी भी दर्ज की गई।

ई.

एफ.

जी.

11. मामले पर विचार करने पर परिवार के सदस्यों के बीच जुबानी जंग हुई और झगड़े के कारण आरोपी ने अचानक जहर खाने का फैसला किया और उसे उसके बच्चे को भी दे दिया। इसके बाद उन्हें तुरंत सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया।मृतक का बयान Cr.P.C की धारा 164 के तहत दर्ज किया गया था, जिसे Ex.P20 के रूप में चिह्नित किया गया था और जो था

एच.

मृतक कनिष्क और आरोपी विजया का इलाज करने वाले पी. डब्ल्यू. 8 डॉक्टर के साक्ष्य से पुष्टि हुई।"6. विचार के लिए जो प्रश्न उठता है वह यह है कि क्या अपीलार्थी की दोषसिद्धि को पूरी तरह से उसकी कथित मृत्यु घोषणा ('पी20' प्रदर्शित करें) के आधार पर बनाए रखना मान्य है, जिसे दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 164 के तहत एक बयान के रूप में वर्गीकृत किया गया प्रतीत होता है, यह देखते हुए कि अपीलार्थी ने कोई बयान देने से इनकार किया है?

बी.

7. इस संबंध में, इस न्यायालय द्वारा मृत्यु घोषणा की दिशा में एक स्पष्ट और सुसंगत दृष्टिकोण अपनाया गया है जब विचाराधीन व्यक्ति बाद में जीवित रहता है।यू. पी. राज्य बनामवीर सिंह (2004) 10 एससीसी 117, यह आयोजित किया गया थाः

सी.

"5. यह एक साधारण कानून है कि जब कथित मृत्यु घोषणा का निर्माता जीवित रहता है तो वह भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 32 (संक्षेप में 'साक्ष्य अधिनियम') के तहत

बयान नहीं है, बल्कि संहिता की धारा 164 के संदर्भ में एक बयान है।इसका उपयोग साक्ष्य अधिनियम की धारा 157 के तहत पुष्टि के उद्देश्य से और धारा 155 के तहत विरोधाभास के उद्देश्य से किया जा सकता है।"

डी.

8. इस न्यायालय के कुछ निर्णय भी हैं जो इस बात पर संदेह पैदा करते हैं कि क्या इस तरह के बयान को इकबालिया बयान के रूप में माना जा सकता है।हम इस संबंध में दो निर्णयों पर भरोसा कर सकते हैं, अर्थात (i) रामप्रसाद बनाम महाराष्ट्र राज्य, (1999) 5 एस. सी. सी. 30 और (ii) एस. अरुल राजा बनाम तमिलनाडु राज्य, (2010) 8 एस. सी. सी. 233।

ई.

9. रामप्रसाद (सुप्रा) में एक बयान को मृत्यु घोषणा के रूप में वर्गीकृत करने पर प्रतिबंध जब घोषणा का वाहक अपनी चोटों के कारण नहीं झुकता है, तो इसका विवरण इस प्रकार दिया गया हैः

एफ.

" हम विद्वान अधिवक्ता के इस तर्क से पूरी तरह सहमत हैं कि Ext.52 का उपयोग साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 के तहत साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है, हालांकि इसे मृत्यु घोषणा के रूप में दर्ज किया गया था।जिस समय पीडब्लू. 1 ने बयान दिया था कि वह मृत्यु की उम्मीद में था, लेकिन यह धारा 32 के कैसेट में डालने के लिए पर्याप्त नहीं है।जब तक बयान देने वाला जीवित है, यह केवल अनुसंधान के दौरान दर्ज किए गए बयान के दायरे में रहेगा।"

जी.

10. एस. अरुल राजा (सुप्रा) मामले में अदालत ने इस तरह के बयान को इकबालिया बयान के रूप में माने जाने के मुद्दे को संबोधित करते हुए कहाः

एच.

373

विजय बनाम पुलिस निरीक्षक द्वारा राज्य प्रतिनिधि [सूर्या कान्ट, जे.] ए.

ए.

"40. शरवन भादाजी भिराद और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में इस न्यायालय ने (2002) 10 एस. सी. सी. 56 में कहा कि जब एक बयान को मृत्यु घोषणा के रूप में दर्ज किया जाता है और पीड़ित जीवित रहता है, तो इस तरह के बयान को मृत्यु घोषणा की सख्त जांच में खड़े होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन धारा 164, Cr.P.C के तहत एक बयान के रूप में माना जा सकता है।

बी.

41. इसलिए, उक्त कथन को मृत्यु घोषणा के रूप में अस्वीकार्य होने के साथ, जो प्रश्न उत्पन्न होता है वह हैःक्या बयान या तो स्वीकारोक्ति के रूप में या अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति के रूप में स्वीकार्य हो सकता है?

42. अस्पताल में रहते हुए ए 1 द्वारा किए गए स्वीकारोक्ति के आसपास की घटनाएं, और अधिक महत्वपूर्ण रूप से, पुलिस हिरासत में, अपीलार्थी की दोषसिद्धि का समर्थन करने के लिए बहुत अस्पष्ट हैं।

सी.

43. धारा 164 Cr.P.C अभियुक्त के बयान को स्वीकारोक्ति के रूप में लेने के लिए दिशानिर्देश प्रदान करती है।एक आवश्यक शर्त यह है कि इसे स्वेच्छा से बनाया जाना चाहिए न कि धमकी या जबरदस्ती के तहत।यह न्यायालय आलोक नाथ दत्ता और अन्य बनामपश्चिम बंगाल राज्य ने (2007) में 12 एस. सी. सी. 230 की सूचना दी जो इस प्रकार हैः-

डी.

“87. इकबालिया बयान आमतौर पर सबूत में स्वीकार्य है।यह एक प्रासंगिक तथ्य है।उस पर कार्रवाई की जा सकती है।कुछ परिस्थितियों में और समय-समय पर उच्च न्यायपालिका द्वारा निर्धारित कानून के अधीन स्वीकारोक्ति दोषसिद्धि का आधार बन सकती है।तथापि, यह सामान्य बात है कि उक्त प्रयोजन के लिए न्यायालय को निम्नलिखित के संबंध में खुद को संतुष्ट करना होगाः

ई.

((i) स्वीकारोक्ति की स्वैच्छिकता; (ii) स्वीकारोक्ति की सच्चाई; (iii) पुष्टि।”

एफ.

11. इसलिए, हमारी जांच का केंद्र दो गुना हैःi) क्या अपीलार्थी द्वारा दिया गया बयान, जो साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 के तहत मृत्यु घोषणा के रूप में योग्य नहीं है, बल्कि, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत एक बयान के रूप में, एक स्वीकारोक्ति बयान के रूप में माना जा सकता है; और ii) क्या अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन करने वाले पुष्टिकारक सबूत हैं।

जी.

12. शुरुआत में, अपीलार्थी द्वारा उसके लिए जिम्मेदार बयान का बाद में खंडन प्रासंगिक है। यह आगे प्रतीत होता है कि पीडब्लू 1 और 5, अपीलार्थी का पति जो वादी भी है, और उसके पिता -

एच.

ससुर, दोनों शत्रुतापूर्ण हो गए हैं।हालाँकि, विद्वान सत्र न्यायाधीश ने इस तर्क के आधार पर इस कारक को दरकिनार कर दिया कि ये व्यक्ति अंततः यह सुनिश्चित करने में रुचि रखते थे कि अपीलार्थी को बरी कर दिया गया था और इसलिए उनके पहले के बयानों से पीछे हट गए जो उनके अपराध का समर्थन करते थे।ट्रायल कोर्ट ने राय दी कि घटनाओं का अभियोजन संस्करण, अब तक, अधिक प्रशंसनीय और तार्किक रूप से अपीलार्थी की बेटी की मृत्यु का कारण बना।

बी.

13. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री एस. नागमुथु ने जोरदार आग्रह किया है कि गवाहों के इस वर्ग के प्रतिकूल मोड़ के बाद अपीलार्थी को दोषसिद्धि ठहराने का एकमात्र आधार, अपीलार्थी द्वारा अस्पताल में भर्ती होने के दौरान की गई कथित घोषणा और अपीलार्थी, पीडब्लू 8 का इलाज करने वाले डॉक्टर का बयान था।हालाँकि, वह पीडब्लू8 के बयान को इस तथ्य से परे किसी भी विवरण से कटा हुआ बताते हैं कि उसने अपीलार्थी का इलाज किया था और अपीलार्थी और मृतक दोनों ने एक ही जहरीले पदार्थ का सेवन किया था।

सी.

14. निस्संदेह उन सटीक परिस्थितियों के बारे में कुछ अस्पष्टता है जिसमें अपीलार्थी और उसकी बेटी ने ओडुवंथलाई का सेवन किया था।अपीलार्थी ने 11.10.2012 पर अपने प्रारंभिक बयान के लिए, जब वह अस्पताल में होश में आई थी, पुलिस से प्रभावित होने के लिए जिम्मेदार ठहराया है, जिसने कथित तौर पर उसे आश्वस्त किया कि वे उन व्यक्तियों को पकड़ लेंगे जिन्होंने उसकी बेटी और उसे दूषित शहद की पेशकश की थी, और उन गहने को भी बरामद करेंगे जो इन अज्ञात व्यक्तियों ने चोरी किए थे।हालाँकि, उसने दावा किया कि उन्होंने उसे इन विवरणों के बारे में चुप रहने के लिए कहा और बस यह बताया कि उन दोनों ने ओडुवनथलाई का सेवन किया था।

डी.

ई.

15. घटनाओं के इस क्रम पर सत्र न्यायाधीश और उच्च न्यायालय द्वारा अविश्वास किया गया है।चाहे जो भी हो, इसका अनिवार्य रूप से अपीलार्थी द्वारा दिए गए प्रारंभिक कथन की वास्तविकता पर प्रभाव पड़ता है।मुकदमे में कुछ महत्वपूर्ण गवाहों द्वारा लिए गए बाद के

शत्रुतापूर्ण मोड़ के साथ, अपीलार्थी की दोषसिद्धि के संदर्भ में संदेह का एक बीज बोया जाता है।

एफ.

16. इस स्तर पर, आपराधिक कार्यवाही में "उचित संदेह" के दायरे को समझना महत्वपूर्ण है।हरियाणा राज्य में बनाम.

जी.

भागीरथ और ओआरएस। (1999) 5 एस. सी. सी. 96 का सीमांकन करने में कठिनाई

"उचित संदेह" की रूपरेखा पर टिप्पणी की गई थीः

“10. किसी भी आपराधिक मुकदमे में सभी तत्वों को वैज्ञानिक सटीकता के साथ साबित करना लगभग असंभव है।एक आपराधिक अदालत ए हो सकती है

एच.

375

विजय बनाम पुलिस निरीक्षक द्वारा राज्य प्रतिनिधि [सूर्या कान्ट, जे.] ए.

केवल एक उचित संदेह की सीमा से परे अपराध के बारे में आश्वस्त।बेशक, "उचित संदेह" अभिव्यक्ति परिभाषा में असमर्थ है।आधुनिक सोच इस दृष्टिकोण के पक्ष में है कि एक उचित संदेह से परे प्रमाण वही प्रमाण है जो न्यायाधीश को नैतिक निश्चितता प्रदान करता है।

11. संयुक्त राज्य अमेरिका में आपराधिक कानून पर एक प्रसिद्ध लेखक फ्रांसिस व्हार्टन ने "व्हार्टन के आपराधिक साक्ष्य" पर अपनी पुस्तक में न्यायिक घोषणाओं से उद्धृत किया है (पृष्ठ 31,12 वें संस्करण के खंड 1 पर):

बी.

"उचित संदेह" वाक्यांश को परिभाषित करना मुश्किल है।” हालाँकि, सभी आपराधिक मामलों में इस शब्द का सावधानीपूर्वक स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिए।वेबस्टर मामले में मुख्य न्यायाधीश सॉ द्वारा दी गई परिभाषा अक्सर उद्धृत या अनुसरण की जाती है।वह कहता हैः“यह केवल संभावित संदेह नहीं है, क्योंकि मानव मामलों से संबंधित और नैतिक साक्ष्य पर निर्भर करने वाली हर चीज किसी संभावित या काल्पनिक संदेह के लिए खुली है। यह मामले की वह स्थिति है जो सभी साक्ष्यों की पूरी तुलना और विचार के बाद, जूरी सदस्यों के दिमाग को इस विचार में छोड़ देती है कि वे यह नहीं कह सकते कि वे आरोप की सच्चाई की नैतिक निश्चितता के लिए एक स्थायी दोषसिद्धि महसूस करते हैं।12. एच. सी.

अंडरबिल द्वारा लिखित "द लॉ ऑफ क्रिमिनल एविडेंस" पर ग्रंथ में (पृष्ठ 34, पाँचवें संस्करण के खंड 1 में) इस प्रकार कहा गया हैः

सी.

डी.

ई.

तर्कसंगत होने के लिए संदेह ऐसा होना चाहिए जो एक ईमानदार, समझदार और निष्पक्ष दिमाग वाला व्यक्ति हो, जो तर्क के साथ, सच्चाई का पता लगाने की कर्तव्यनिष्ठ इच्छा के अनुरूप हो।ईमानदारी से मनोरंजन किया गया अपराधबोध का संदेह एक उचित संदेह है।एक अस्पष्ट अनुमान या अभियुक्त के निर्दोष होने की संभावना का अनुमान एक उचित संदेह नहीं है।एक उचित संदेह वह है जो सभी साक्ष्यों पर निष्पक्ष और उचित तरीके से विचार करने से उत्पन्न होता है।दोषसिद्धिसदोषसिद्धिभदोषसिद्धीदोषसिद्धि
दोषसिद्धिसदोषसिद्धिादोषसिद्धिकदोषसिद्धिषदोषसिद्धिषदोषसिद्धियदोषसिद्धोदोषसिद्धिंदोषसिद्धि दोषसिद्धिपदोषसिद्धिरदोषसिद्धि
दोषसिद्धिसदोषसिद्धिपदोषसिद्धिषदोषसिद्धिषदोषसिद्धिटदोषसिद्धि
दोषसिद्धिरदोषसिद्धिूदोषसिद्धिपदोषसिद्धि दोषसिद्धिसदोषसिद्धिदोषसिद्धि
दोषसिद्धिवदोषसिद्धिदोषसिद्धिचदोषसिद्धिादोषसिद्धिरदोषसिद्धि
दोषसिद्धिकदोषसिद्धिदोषसिद्धियदोषसिद्धिादोषसिद्धि
दोषसिद्धिजदोषसिद्धिादोषसिद्धिनदोषसिद्धिादोषसिद्धि
दोषसिद्धिचदोषसिद्धिादोषसिद्धिहदोषसिद्धिदोषसिद्धिएदोषसिद्धि
दोषसिद्धिऔदोषसिद्धिरदोषसिद्धि दोषसिद्धियदोषसिद्धिददोषसिद्धिदोषसिद्धि
दोषसिद्धिजदोषसिद्धिूदोषसिद्धिरदोषसिद्धीदोषसिद्धि
दोषसिद्धिसदोषसिद्धिददोषसिद्धिसदोषसिद्धिषदोषसिद्धियदोषसिद्धोदोषसिद्धिंदोषसिद्धि
दोषसिद्धिददोषसिद्धिषदोषसिद्धिवदोषसिद्धिादोषसिद्धिरदोषसिद्धिादोषसिद्धि
दोषसिद्धिइदोषसिद्धिसदोषसिद्धि
दोषसिद्धिसदोषसिद्धिषदोषसिद्धिपदोषसिद्धिषदोषसिद्धिषदोषसिद्धिटदोषसिद्धि
दोषसिद्धिवदोषसिद्धिदोषसिद्धिचदोषसिद्धिादोषसिद्धिरदोषसिद्धि
दोषसिद्धिकदोषसिद्धिदोषसिद्धि दोषसिद्धिबदोषसिद्धिादोषसिद्धिददोषसिद्धि,दोषसिद्धि
दोषसिद्धिमदोषसिद्धिनदोषसिद्धि दोषसिद्धिमदोषसिद्धिदोषसिद्धिंदोषसिद्धि
दोषसिद्धिअदोषसिद्धिभदोषसिद्धिदोषसिद्धियदोषसिद्धिषुदोषसिद्धिकदोषसिद्धिषदोषसिद्धितदोषसिद्धि दोषसिद्धिकदोषसिद्धिदोषसिद्धि
दोषसिद्धिअदोषसिद्धिपदोषसिद्धिरदोषसिद्धिादोषसिद्धिधदोषसिद्धि
दोषसिद्धिकदोषसिद्धीदोषसिद्धि
दोषसिद्धिपदोषसिद्धिषुदोषसिद्धिषदोषसिद्धिषदोषसिद्धिटदोषसिद्धिदोषसिद्धि
दोषसिद्धिबदोषसिद्धिनदोषसिद्धीदोषसिद्धि
दोषसिद्धिरदोषसिद्धिहदोषसिद्धितदोषसिद्धीदोषसिद्धि

दोषसिद्धिहदोषसिद्धिैदोषसिद्धि,दोषसिद्धि दोषसिद्धितदोषसिद्धिोदोषसिद्धि
दोषसिद्धिउदोषसिद्धिचदोषसिर्द्धिदोषसिद्धितदोषसिद्धि
दोषसिद्धिसदोषसिद्धिंदोषसिद्धिददोषसिद्धिैदोषसिद्धिहदोषसिद्धि
दोषसिद्धिकदोषसिद्धिैदोषसिद्धि दोषसिद्धिलदोषसिर्द्धिदोषसिद्धिएदोषसिद्धि
दोषसिद्धिकदोषसिद्धिोदोषसिद्धिईदोषसिद्धि दोषसिद्धिजदोषसिद्धिगदोषसिद्धिहदोषसिद्धि
दोषसिद्धिनदोषसिद्धिहदोषसिद्धीदोषसिद्धिंदोषसिद्धि दोषसिद्धिहदोषसिद्धिैदोषसिद्धि।
दोषसिद्धि”

एफ.

जी.

17. इस प्रकार, उचित संदेह का निर्धारण करते समय हमारा ध्यान केवल संदेह की संभावना या घटनाओं के किसी अन्य संस्करण पर नहीं होता है, बल्कि

एच.

बल्कि एक ऐसा संस्करण जो एक ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ न्यायिक दिमाग की जांच से बच जाता है।वर्तमान मामले में, हम ध्यान देते हैं कि घटना के बाद, अपीलार्थी और पीडब्लू1, वादी के बीच विवाह जारी है और उसने दो नाबालिग बच्चों को जन्म दिया है।

18. अपीलार्थी के अपराध पर विचार करते समय, सत्र न्यायाधीश और उच्च न्यायालय ने अभियोजन का समर्थन करने में पीडब्लू1 और पीडब्लू5 की विफलता के प्रभाव और प्रभाव पर संतोषजनक रूप से विचार नहीं किया है।अपीलार्थी द्वारा विवादित स्वीकारोक्ति पर विचार करते समय, अभियोजन पक्ष का मामला जिस आधार पर खड़ा था, उसे पूर्ववत कर दिया गया था, लेकिन सत्र न्यायाधीश और उच्च न्यायालय ने उस आधार पर आगे बढ़े जो प्रथम दृष्टया लगभग अयोग्य स्वीकृति प्रतीत होती है कि स्वीकारोक्ति अनुपलब्ध रही।यह इस तथ्य के बावजूद था कि अभियोजन पक्ष की कहानी के संबंध में कुछ हद तक पुष्टि प्रदान करने के लिए केवल पीडब्लू8 ही बचा था।

बी.

सी.

19. पी. डब्ल्यू. 1 और पी. डब्ल्यू. 5 के शत्रुतापूर्ण होने के कई कारण हो सकते हैं और एक दूसरे के समान ही सम्मोहक भी।जबकि निचली अदालतों ने उन्हें अपीलार्थी के बरी होने से

संबंधित इच्छुक गवाह माना है, हम यह पता लगाने में असमर्थ हैं कि यह उनके असहयोग का एक अधिक संभावित कारण क्यों है, इस तथ्य की तुलना में कि उनका मानना था कि अपीलार्थी पर गलत आरोप लगाया जा रहा था और उनके प्रारंभिक बयान दबाव में लिए गए थे।

डी.

20. निस्संदेह, इस स्तर पर इस तरह का तथ्यात्मक विश्लेषण करना न तो हमारा दायित्व है और न ही संभव है।हम केवल यह देख सकते हैं कि इस बिंदु पर आगे विचार करना आवश्यक था, विशेष रूप से अपीलार्थी के अपराध के प्रकाश में जो पीडब्लू1 के साथ उसकी निरंतर शादी और उसके पहले जन्म के दुखद नुकसान के बाद दो बच्चों के पालन-पोषण के साथ आसानी से मेल नहीं खाता था।अभिलेख पर इस बारीकियों के मूल्यांकन का अभाव है जो अपीलार्थी के दोषसिद्धि के संबंध में हमारे मन में एक उचित संदेह पैदा करता है।21. जब किसी मामले के तथ्य और परिस्थितियाँ उतनी ही विचित्र होती हैं जितनी हमारे सामने होती हैं, तो न्यायिक जिम्मेदारी और भी अधिक होती है कि वे विशिष्टताओं को संबोधित करें।इसी तरह हम यह देखने के लिए मजबूर हैं कि ऐसे विवाद के मुद्दे हैं जिन पर पर्याप्त रूप से ध्यान नहीं दिया गया है, जिससे अपीलार्थी को लाभ होता है।

ई.

एफ.

जी.

22. उपरोक्त कारणों से, अपील की अनुमति दी जाती है और विद्वत विचारण न्यायालय के दिनांकित 27-4-2017 निर्णय और उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांकित 19-3-2019 विवादित निर्णय दोनों को दरकिनार कर दिया जाता है।

एच.

377

विजय बनाम पुलिस निरीक्षक द्वारा राज्य प्रतिनिधि [सूर्या कान्ट, जे.]

ए.

23. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि इस न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को 13-8-2020 पर दिए गए और 16-10-2020 पर जारी रखे गए अंतरिम संरक्षण को पूर्ण बना दिया गया है।

अंकित ज्ञान

अपील की अनुमति दी गई।

(सहायकः राहुल राठी, एलसीआरए)

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.